

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
( आय-व्ययक अनुभाग )  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0।

द्वारा संख्या 2761 / क०क०सि०  
दिनांक 19/4/24 लखनऊ

पत्रांक- 168/आई0बी0/अन्तरण/अनु0-94/पूजीलेखा

लखनऊ दिनांक: अप्रैल, 16, 2024

## कार्यालय-जाप

उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2022/ए-2-06/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 08-01-2022 के क्रम में संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, 30प्र0शासन के पत्र संख्या-100/22-27-सि-65एसएवी/21, दिनांक 07-02-2022 द्वारा सी0सी0एल0 प्रणाली को समाप्त कर कोषागार प्रणाली लागू किये जाने एवं शासन के पत्र संख्या-2259/23-27-सि-09-38एसएवी/22 दिनांक 06.11.23 के विन्दु संख्या-02(क) एवं 02(ख) द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा बजट आवंटन एवं आनलाईन फीडिंग/अन्तरण हेतु धन की मांग के क्रम में सम्बन्धित खण्ड को निम्नानुसार अंकित विवरण के अनुसार व्यय हेतु सर्वर पर आनलाईन फीडिंग/ अन्तरण हेतु विवरण निम्नानुसार है:-

क्र 0 सं 0	परियोजना का नाम	लेखा शीर्षक	शासकीय स्वीकृति का संदर्भ	शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का संदर्भ	खण्ड का नाम/ आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं डी0डी0ओ कोड	कोषागार/ जनपद	धनराशि	अभियन्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1.	आबीट्रेशन अपील संख्या-06/2020 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के अनुपालन में।	8674-101-01	5/492-24-27-3099-60-2024 दिनांक 12-04-2024	600.00	मु0अभि0(रामगंगा) कानपुर के पत्रांक- 2169/मुअरामगंगा दिनांक 15-04-2024	बैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर 4816	कानपुर	600.00	
							योग-	600.00	

(रु० छः करोड मात्र )

अनिल कुमार  
प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष।

पत्रांक- 168/(1)/आई0बी0/तद्विनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (मध्य) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्तानुसार तालिका एवं मुख्य अभियन्ताओं के पत्र की छायाप्रतियों के अनुरूप अन्तरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन/अनुश्रवण) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, कानपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर-केन्द्र) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- संबन्धित अधीक्षण अभियन्ता..... ।
- संबन्धित अधिशासी अभियन्ता..... ।
- स्टाफ अधिकारी(बजट)मुख्य अभियन्ता (बजट) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- कट फाईल हेतु।

श्रीपति आर्य, 05-5

रामेश कुमार  
मुख्य अभियन्ता (बजट)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष।

16.04.24

श्रीपति आर्य